

Form No. III

फर्द अहकाम

नियम 25

उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना
 सरदार यनाम केशवकुमार चौधरी
 संख्या 177 व 18 मं. 2025

<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जन</p>	<p>नया या नार्ग्य अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
--	--

9-1-25 आज यह वाइ पत्र स्पष्ट पर्यकार सरकार ने उपरिक्त होकर पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी जयेश रजिस्ट्रार समत तलवान। से तलब हो। पत्रावली वाइ रजि. नं. 177/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 नीमराना (ओट्टावली-करोड)

27-2-25 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार साथ नीमराना द्वारा कार्य ज्ञान किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व अज्ञेति अनुसार अधिम कांबाली 10-7-25 को कल से।

रीडर

27-3-25 आज पत्रावली तहसीलदार नीमराना के कांब 521 कांब 27/02/25 पर तलब होकर पेश हुई। तहसीलदार नीमराना ने पत्र द्वारा अवगत करवाया है कि पहचानी टल्का दोलतसिंहपुरा की रिपोर्ट के अनुसार ख. नं. 1236/1233 ख. नं. 0.42 है 0 बाक ग्राम कुन्दनसिंहपुरा में शक्ति शक्ति का अकृषिक प्रयोजन बिना समत स्वीकृति किये जाने के फलस्वरूप खानेदारी विलोपित कर शक्ति शक्ति सिवायक व्योक्ति करवाने हेतु प्रकरण द्वारा लगातार

177 के अन्तर्गत वाद पत्र सिद्ध जमा करा
 —सब तहसीलदार मौजदाता बताया है कि
 अतः प्रकरण में मौजदाता द्वारा सिद्ध उप-उ-उप
 को पदा जारी कर दिया गया है अतः के
 अधिक उपकरण के लिये विधायक अनुमान
 प्राप्त कर ली है। प्रकरण इसी स्तर पर प्रेषित
 करने की वृत्ति करे। एवम् तहसीलदार मौजदाता
 सुनाव पत्रवली का अवलोकन किया। पत्रवली
 में जब कोई कार्यवाही उपस्थित नहीं है। अतः
 पत्रवली इसी स्तर पर ड्राय कर स्वर्णिज
 की जाती है। पत्रवली प्रैसल इमारत होकर
 नम्बर से बना है। बाद इति कारिवाल वफादारी

उमरखण्ड अधिकारी
 मौजदाता (जिल्हादारी-सुब)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)


तहसीलदार नीमराना भूमिधारी राजस्थान सरकार

बनाम

केशव कुमार पुत्र कृष्णा देवी जाति ब्राह्मण निवासी नीमराना तह0 नीमराना

किस्म मुकदमा प्रार्थन पत्र 212 आर0टी0एक्ट

मु0न0 18 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>09.01.2025 आज यह प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्ण्य क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतित होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1336/1233 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम कुन्दनसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड. (राजस्थान) में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थीगण रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थीगण यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दि0 27.02.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>27-2-25 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सय गीमराना द्वारा कर्षण स्वामन किये जाने का इनापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10-7-25 को पेश तो।</p> <p>27-3-25 आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मूल बाउ के साथ इवरीज हो युक्त है। अब प्रॉपत्र को आगे चलाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 के इसी स्तर पर ड्रॉप कर इवरीज किया जाता है। पत्रावली में दूरे दिनांक 09-01-25 TI अपादन किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल बाउ के अलग हो।</p>	

उपस्थित अधिकारी
गीमराना (कोल्लुली-बहरोड)